

कार्यालय आदेश संख्या - 131/NG/2019/Engg./SPJ

निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अद्यत् रेलवे नती प्रकाश, पटना के पत्रांक- 330/2019/पाठक/अभियंता-1 दिनांक-03.07.2019 के अनुसार ट्रेक मेटेन-IV, (इंजीन) लेवल-01 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य एवं परे हैं उन विद्यार्थी विद्यार्थी श्रेणी में उत्तीर्ण हैं, के द्वारा नियुक्ति प्रस्ताव पत्र स्वीकार करने के उपरान्त अभ्यर्थी नियुक्ति उनके नाम के पद अर्जित पद, वेतन लेवल, वेतन एवं स्टेसन/इकाई पर की जाती है-

| अभ्यर्थी का नाम<br>(श्री/श्रीमती/कु0) | पिता का नाम<br>(सर्वश्री) | जन्म तिथि  | समुदाय | विक्रिता श्रेणी<br>प्रमाण पत्र सं०<br>एवं दिनांक                                | पदस्थापना पर<br>लेवल-01 में<br>वेतन निर्धारण | पद का उच्च<br>सहायक<br>कुनि/लेवल |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|--------|---|--|----------------------------------|
| ANISH KUMAR<br>GUPTA                  | PRADEEP<br>PRASAD         | 07.02.1996 | OBC    | Fit in A-2 & below<br>without glass by<br>ACMS/DIIN<br>No-765882<br>DL-21.05.19 | ₹18000/-                                     | TM-IV/ENGGS<br>SSE/Engg./NG      |




अनिस कुमार गुप्ता

हस्ताक्षर (हिन्दी)

Anish Kumar Gupta

हस्ताक्षर (अंग्रेजी)



पहचान चिन्ह: 1 A mole on left cheek  
2 A mole on right hand

सहायक कार्मिक अधिकारी  
पूर्व मध्य रेल, समस्तीपुर

LTI/RTI (in case of Female Candidate)

इन्हें समय-समय पर स्वीकार्य भत्ता देय है। वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण की तिथि में देय होगा। जहाँ नियुक्त पद पर प्रशिक्षण आवश्यक होगा, वहाँ संबंधित विभाग/अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था में अभ्यर्थी को सम्मिलित होना होगा।

इनकी नियुक्ति के संबंध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी पर लागू होती हैं। चरित्र सत्यापन के दौरान प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने अथवा शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाये जाने पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी। इन्हें प्रादेशिक सेना के रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक तथा प्रादेशिक सेना में 06 वर्षों तक सैन्य सेवा करनी होगी, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के परिपत्र F(E)/III/2003/PN-1/24 दिनांक 31.12.2003 द्वारा जारी सभी नियमों एवं विनियमों के अधीन दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों से शासित होगी।

(चन्द्र किशोर)

सहायक कार्मिक अधिकारी-11

समस्तीपुर

दिनांक 29/08/2019

संख्या: का/227/आरआरसी पैनल/सम/इंजी./2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वमविप्र/सम0
2. वमइ(समन्वय)
3. संबंधित समइ
4. संबंधित वसेइ(रेल पथ)
5. कार्याधी/एम0पी0पी0- वे कृपया इसे समस्तीपुर मंडल के वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
6. अभिलेख हेतु
7. मुकार्याधी पास- कृपया उक्त कर्मचारी के पक्ष में समस्तीपुर से पदस्थापना स्थल तक कार्य योगदान हेतु कार्याधी पास निर्गत करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित कर्मचारी
9. मंडल मंत्री-ईसीआरकेयू0,ओवीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0

सहायक कार्मिक अधिकारी-11

समस्तीपुर